न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 16/2018 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2018/00066

अनवानी :— इन्द्रपाल नाथ पुत्र स्व. शंकरनाथ जाति नाथ निवासी वार्ड नं. 11 मोटेर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

———अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री सन्तनाथ अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 14.07.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 30.04.2018, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के दादा स्व. मालनाथ के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3101 ओ.एस. 2/97 जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा जारी है, जिस पर 12 बोर गन डीबीबीएल गन नंबर 17751 पर दर्ज है। अपीलांट के दादा की मृत्यु दिनांक 30.04.2010 को हो चुकी है। अपीलांट ने अपने दादा के उक्त शस्त्र लाईसेंस को उत्तराधिकार में अपने नाम जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।
3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों और अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के दादा स्व. मालनाथ के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3101 ओ.एस. 2/97 जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ दर्ज है, जिस पर 12 बोर बंदूक दर्ज है। अपीलांट के दादा की मृत्यु होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलांट के नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के उक्त आवेदन को दिनांक 30.04.2018 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र में वारिसों का (बायोमैट्रिक/एडीएम हनुमानगढ़ के समक्ष) सत्यापन नही करवाने के कारण खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता के अपीलांट के उक्त आवेदन पत्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के दादा के समस्त वारिसान ने स्टाम्प पर शपथ–पत्र इस आशय के प्रस्तुत किये कि अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण जैरकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बायोमैट्रिक सत्यापन का नोटिस नहीं दिया तथा केवल बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण आवेदन खारिज कर दिया जबकि मृतक के सभी वारिसान बायोमैट्रिक सत्यापन करवाने को तैयार थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम मृतक उत्तराधिकारी के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का उत्तराधिकार प्रकरण में पेश शस्त्र अनुज्ञा आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2018 को जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेशों की अनुपालना न किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दादा स्व. मालनाथ के समस्त वारिसान को बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण आवेदन पत्र को अपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 नियमानुसार प्रक्रिया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपनाते हुए पारित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के दादा स्व. मालनाथ के नाम से जारी था, जिसे अपीलांट ने मृत्तक के उत्तराधिकार में अपने नाम से जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 पारित करते हुए अपीलांट के उक्त आवेदन पत्र को बायोमैट्रिक सत्यापन नही करवाये जाने के कारण अपूर्ण आवेदन मानते हुए खारिज कर दिया। बायोमैट्रिक सत्यापन करवाया जाना प्रार्थी अपीलांट की स्वयं की जिम्मेदारी थी, जो अपीलांट द्वारा नहीं करवाया गया। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 यथावत रखा जाता है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर